कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी जिला –हरदा

क्रमांक /5866/एस.डब्लू/2021 हरदा दिनांक 15/04/2021

" आदेश "

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 35–09/ 2020/दो/सी–2 भोपाल दिनाक 22 मार्च 2021, 24 मार्च 2021, 07 अप्रैल 2021 एंव दिनांक 12 अप्रैल 2021 के परिपालन में डिस्ट्रिक्ट कायसिस मैनेजमेंट बैठक दिनांक 15.04.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एंव नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5741/एस.डब्लू/2021 हरदा दिनांक 08.04.2021 को अधिकमित करते हुये **मैं, संजय गुप्ता, कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जिला हरदा** एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में अगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :–

1. सम्पूर्ण जिले में दिनांक 16.04.2021 सायंकाल 06:00 बजे से दिनांक 26.04.2021 सुबह 06.:00 बजे तक की अवधि के लिये कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता है, अत्यावश्यक कार्य अथवा चिकित्सीय कार्य के अलावा लोगों का घर से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धराना, प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम एंव सभा, सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा ।
3. समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडियोटॉरियम, असेम्बली हॉल, एंव इसके समरूप स्थल जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क, मनोरंजन पार्क बंद रहेगें ।
4. जिले के समस्त साप्ताहिक हाट/बाजार प्रतिबंधित रहेगें।
5. समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा ।
6. दुकानों /प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
7. सभी प्रतिष्ठानों /संस्थाओं द्वारा सोश्यल डिस्टेंसिंग एंव कोविड–19 रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा । इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान /संस्थान के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

अतिरिक्त गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी ।

1. अन्य राज्यों एंव जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन ।
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एंव चिकित्सा सेवाएं ।
3. केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक , ATM तथा रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलिवरी के लिए) ।
4. औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों , उद्योगों हेतु कच्चा/ तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन ।
5. एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली–कम्युनिकेशन, विधुत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें दूध एकत्रीकरण /वितरण के लिए परिवहन ।
6. सर्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें ।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एंव स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।

Scanned with CamScanner

8. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन ।
9. कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस /परिसर में रूके हों)
10. कृषि सम्बन्धी सेवाए(जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)
11. परीक्षा केन्द्र आने एंव जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एंव परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण ।
12. अस्पताल/नर्सिंग हेाम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी ।
13. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु।
14. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक ।
15. IT कम्पनिया BPO/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एंव यूनिट्स ।
16. अखबार वितरण एंव अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
17. होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
18. टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक /कर्मी ।
19. किराना दुकानें, बेकरी, दूध, फल, एवं सब्जी की दुकानें /ठेले प्रातः काल 6.00बजे से दोपहर 12.00बजे तक खुले रहेगें।

चुंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी ।

यह आदेश आज दिनांक 15/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की सील से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(संजय गुप्ता)
कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला- हरदा

क्रमांक/5867/एस.डब्लू/2021 हरदा दिनांक/15/04/2021

प्रतिलिप-
1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लाभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल एंव प्रभारी अधिकारी कोविड-19 जिला हरदा।
4. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ।
5. माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरदा ।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6. पुलिस अधीक्षक हरदा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा ।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी हरदा ।

Scanned with CamScanner

9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा ।
10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा ।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा ।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 हरदा वेव पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
16. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हरदा ।
17. विभाग प्रमुख ----------------जिला हरदा ।
18. प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. थाना प्रभारी, थाना------------------------------जिला हरदा की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला– हरदा

Scanned with CamScanner